

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 99/2022

इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अजय गुप्ता, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं० 15, 6th फ्लोर, इंस्टीटूशनल एरिया, सेक्टर 44, गुरुग्राम, हरियाणा 122002 तथा शाखा कार्यालय पहली मंजिल बी 21, रामा कॉम्प्लेक्स, मान नगर, झुंझुनू 33001 (राज०) में स्थित कार्यरत है।

— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. श्रीमती कमला, पता प्लॉट संख्या 231, वार्ड नं० 6, गनी कॉलोनी, जे०बी० शाह कॉलेज, जिला झुंझुनू-333001 (राज०)
2. श्री सहीराम, पता प्लॉट संख्या 231, वार्ड नं० 6, गनी कॉलोनी, जे०बी० शाह कॉलेज, जिला झुंझुनू-333001 (राज०)

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

1. एडवोकेट श्री उम्मेद सिंह - प्रार्थी की ओर से
2. श्री राजेश पूनियां, एडवोकेट- अप्रार्थी सं० 1 लगायत 2 की ओर से।

आदेश

दिनांक 09.05.2022

प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कम्पनी ने ऋणी/सह ऋणी श्रीमती कमला व सहीराम को सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण राशि रूपये 22,00,000/- (अक्षरे बाईस लाख रुपये) ऋण सुविधा स्वीकृत किया था। इस हेतु ऋणी/सह ऋणियों ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है- अचल संपत्ति पट्टाशुदा प्लॉट संख्या 231, गनी कॉलोनी (झुंझुनू) तहसील व जिला झुंझुनू राजस्थान में स्थित है जो श्री सहीराम पुत्र श्री श्योनाथ के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 234.72 वर्गगज है। ऋण की अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी/सह ऋणियों ने आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके उक्त सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से साम्यिक बंधक किया है। प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को कम्पनी के द्वारा निष्पादन दिनांक 27.01.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 16.11.2021 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजि० डाक से दिनांक 20.11.2021 को मांग नोटिस प्रेषित कर बकाया राशि रूपये 25,20,320.08/-



(अक्षरे पच्चीस लाख बीस हजार पांच सौ बीस रुपये और आठ पैसे) दिनांक 30.11.2021 तक एवं इसके पश्चात् के ब्याज व खर्च अतिरिक्त का भुगतान 60 दिवस के भीतर करने की मांग की गई थी परन्तु ऋणी/सहऋणी द्वारा 60 दिवस की अवधि के अन्तर्गत यह मांग पूरी नहीं की गई। कम्पनी को सम्पत्ति के विरुद्ध खाते में राशि रुपये 25,20,320.08/- (अक्षरे पच्चीस लाख बीस हजार पांच सौ बीस रुपये और आठ पैसे) दिनांक 30.11.2021 तक एवं इसके पश्चात् के ब्याज व खर्च अतिरिक्त ऋणी/सह ऋणियों से लेना है। बकाया राशि को वसूल करने के लिए कम्पनी को उपरोक्त वर्णित गिरवीकृत परिसम्पत्ति अचल सम्पत्ति का कब्जा लेकर बिक्री करनी है। श्रीमान् को उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति को अपने कब्जे/नियंत्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार (कम्पनी) को सुपर्द करने का अधिकार प्राप्त है। सम्पत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है। इस हेतु अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत आपकी सहायता हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। गिरवीकृत संपत्ति जो कि आपके क्षेत्राधिकार में है का पता निम्न है अचल संपत्ति पट्टाशुदा प्लॉट संख्या 231, गनी कॉलोनी (झुंझुनूं) तहसील व जिला झुंझुनूं राजस्थान में स्थित है है जो श्री सहीराम पुत्र श्री श्योनाथ के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 234.72 वर्गगज है। अतः प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा उपरोक्त बिन्दुओं के अन्तर्गत एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/सह ऋणियों से प्रार्थी कम्पनी को दिलाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी कम्पनी का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी कम्पनी द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा कम्पनी को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।


वकील अप्रार्थी सं0 1 लगायत 2 ने लिखित जबाब प्रस्तुत किया कि आवेदक ने अप्रार्थी के खाते को दिनांक 27.01.2021 को एन0पी0ए0 में गलत रूप से वर्गीकृत किया है। अप्रार्थीगण में 25,20,520.08 रुपये बकाया नहीं है। मांग पत्र गलत आधार पर भेजा है। ऋण स्वीकृति से लेकर जनवरी 2021 तक तय शुदा किश्ते अनावेदक ने जमा करवाई है। आवेदकगण ने कोविड-19 की गाईडलाईन के निर्देशों के विपरीत जाकर ब्याज अधिक लगाया है तथा प्लेन्टी भी अधिक लगाई है जो माफ होने योग्य है। आवेदक ने अप्रार्थीगण को ऋण राशि व बकाया राशि तथा ब्याज व पैन्ल्टी का हिसाब नहीं बताया। आवेदक द्वारा अप्रार्थीगण की वाजिब बकाया ऋण राशि नहीं बताई। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि कोविड-19 की गाईडलाईन के दायरे में कुल ऋण राशि 22,00,000 रुपये में से जमा की गई किश्त के रूपों को छोड़कर शेष राशि अनावेदकगण जमा करवाने को तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात व जबाब वकील अप्रार्थीगण का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें हैं व प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।



पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफॉसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पत्ति अप्रार्थी सहीराम पुत्र श्योनाथ के मालिकाना हक की अचल संपत्ति प्रोपर्टी अचल संपत्ति पट्टाशुदा प्लॉट संख्या 231, गनी कॉलोनी (झुंझुनूं) तहसील व जिला झुंझुनूं राजस्थान जिसका कुल क्षेत्रफल 234.72 वर्गगज स्थित भूमि व निर्मित सम्पत्ति का पजेशन प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खर्च पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावे।

आदेश आज दिनांक 09.05.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं